eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

# भारत में शारीरिक घरेलू हिंसा में लैंगिक असमानता की भूमिका

**[1]रितु सेंगर**
**[2]प्रो0 सीमा सिंह**
[1]पी.एचडी रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान विभाग आगरा कॉलेज, आगरा
[2]राजनीति विज्ञान विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा

Received: 31 August 2023, Accepted: 01 Sep 2023, Published with Peer Reviewed online: 03 Sep 2023

## Abstract

लैंगिक भेदभाव कुछ और नहीं मानवीय सोच और व्यवहार का परिणाम है। लैंगिक हिंसा भारत क्या पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। लैंगिक असमानता में पीड़ित वर्ग में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघनों में एक है। महिलाएं जो हिंसा का शिकार हुई है, वह इज्जत, मर्यादा, पारिवारिक प्रतिष्ठा के कारण आगे बढ़कर इसका विरोध नहीं कर पाती। यह महिलाओं के विकास और समाज में समान भागीदारी में भी प्रमुख बाधा बना हुआ है। शारीरिक घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा का ही एक रूप है। यह शोध पत्र भारत में शारीरिक घरेलू हिंसा में लैंगिक असमानता की बहुमुखी भूमिका पर प्रकाश डालता है तथा इसके प्रमुख कारकों को बताने का प्रयास करता है और किस तरह शक्ति असंतुलन, सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं के खिलाफ हिंसा में योगदान करती हैं, इसकी भी व्याख्या करता है। एक विकसित समाज और भारत के निर्माण के लिए महिला व पुरुष दोनों की समान भागीदारी अति आवश्यक है। किसी भी तरह की असमानता का व्यवहार व भेदभाव विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसके कारकों का मूल्यांकन करके और सही समाधान खोजकर इसे कार्यान्वित करना, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा।

**मुख्य शब्दः–** लैंगिक असमानता, शारीरिक घरेलू हिंसा, महिला, शक्ति असंतुलन, लैंगिक हिंसा, पितृसत्तात्मक समाज ।

## Introduction

**"सामाजिक परिवर्तन के लिए एक कानूनी ढांचा आवश्यक है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हों।" –**

**डॉ0 भीमराव अंबेडकर**

दुनिया आधुनिक युग में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन सभ्यता के उद्भव से लेकर आज तक लैंगिक असमानता के मुद्दे शांत नहीं हुए हैं। दिन व दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लैंगिक असमानता के नाम पर वंचित वर्गों पर अत्याचार, उनका शोषण करना जारी है। भारत के पितृसत्तात्मक समाज का महिलाओं पर अत्याचार और दुर्व्यवहार जारी है वह आज भी आश्रित है, शोषित है और जीवन के हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता का सामना कर रही है। लैंगिक हिंसा, हिंसा का वह रूप है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को उनके जेंडर के आधार पर शारीरिक, मानसिक रूप से शोषण या नुकसान किया जाए। लैंगिक हिंसा में शारीरिक प्रताड़ना, दहेज हत्या, ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा, भावनात्मक

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

शोषण आदि शामिल है, इन सबका आधार लैंगिक असमानता है। रूढ़िवादिता पुरुषों को आक्रामक और नियंत्रण रखने के लिए उकसाती है। लैंगिक असमानता महिलाओं को हांसिए की ओर ले जाती है। लैंगिक असमानता में महिलाओं की सोच को ही सीमित कर दिया जाता है जिससे उनके विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। लैंगिक हिंसा का एक रूप शारीरिक घरेलू हिंसा है जो पीड़ित को मानसिक व शारीरिक दोनों रूपों में विक्षिप्त करती है। भले ही घरेलू हिंसा के अलग–अलग रूप (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौनिक हिंसा) पर बात की जाती है लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ज्यादातर महिलाएं आज भी शारीरिक हिंसा को ही घरेलू हिंसा मानती हैं। ऐसे में गाली–गलौज करना या घर में तोड़फोड़ करना समाज की नजरों में घरेलू हिंसा है ही नहीं। परिवार की गरिमा के नाम पर ऑनर किलिंग जैसी प्रथा आज भी इतने बड़े स्तर पर कायम है और अब तक इसके खिलाफ कोई मजबूत राष्ट्रीय कानून नहीं बना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में 5000 लड़कियां ऑनर किलिंग का शिकार होती है।[1]

**उद्देश्य–**

- शारीरिक घरेलू हिंसा के मूल कारणों की व्याख्या करना।
- लैंगिक असमानता और शारीरिक घरेलू हिंसा की व्यापकता के बीच संबंधों की जांच करना ।
- शारीरिक घरेलू हिंसा की घटनाओं पर पितृसत्तात्मक मानदण्डों के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- लैंगिक असमानता से निपटने और हिंसा मुक्त समाज को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर प्रकाश डालना।

**व्याख्या–** भारत के सामाजिक परिवेश में आज भी रुढिवादी परंपराओं ने अपना स्थान बना रखा है। जो मूल रूप से पितृसत्तात्मक परंपराओं की देन है। समाज का यह स्वरूप ही लैंगिक हिंसा को बढ़ावा देता है। आज भी औरत को चार दिवारी के अंदर रहकर सीमित कार्यों के लायक समझा जाता है। जैसे– बच्चों की देखभाल, पति की सेवा करना। इन गतिविधियों के चलते महिलाओं का विकास रुक जाता है जो उनके विरुद्ध हिंसा का कारण भी बनता है। भारत में घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, दहेज के लिए हत्या जैसे अपराध लैंगिक हिंसा के उदाहरण है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत सामाजिक मर्यादाओं, इज्जत का भार औरत उठाती है और पुरुष के पास परिवार के संसाधनों का संपूर्ण नियंत्रण होता है।

युद्ध या सांप्रदायिक दंगों में भी इसका फायदा उठाकर औरत को निशाना बनाया जाता है ताकि विपक्ष को अपमानित किया जा सके जैसा कि अभी मणिपुर हिंसा की घटना में घटित हुआ यह बहुत पहले से भी होता चला आ रहा है। 2002 में गुजरात के नरसंहार में बिलकिस बानो गैंग रेप की घटना भी इसी का उदाहरण है। भारत में यौन उत्पीड़न की घटनाओं का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बलात्कार जैसी घटना के लिए भी महिला को ही दोषी माना जाता है यहां पर लैंगिक असमानता काफी बड़े स्तर पर देखने को मिलती

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

है पीड़ित महिला को कलंकित मानकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है इसी के चलते अधिकतर बलात्कार की शिकार हुई महिलाएं आत्महत्या जैसे कदम उठाती हैं।

हाल ही में हुई मणिपुर हिंसा की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया मणिपुर के दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच हुई हिंसक झड़प के चलते मैतेई समुदाय द्वारा कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ किए गया दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न लैंगिक हिंसा का नया उदाहरण है।[2] यह मामला भारत में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सवाल खड़े करता है। घरेलू हिंसा समाज में पुरुष एवं महिलाओं के असमानता को प्रतिबिंब करता है।

**कालमस् और स्ट्रास के अनुसार–** "आर्थिक अधीनता महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रमुख कारण है, जितनी ही अधिक निर्भरता होती है उतना ही अधिक आक्रमण का जोखिम होता है।"

घरेलू हिंसा करने वाले पुरुषों की सोच यह होती है कि उनके वर्चस्व को कोई हानि न पहुंचे। परिवार के मुखिया वे ही रहे तथा समस्त प्रकार के निर्णय उनके अनुसार हों। अनुशासन और मर्यादा जैसे शब्दों के बहाने वह उनको डरा कर उनका शोषण करते हैं। इस समाज की विडंबना यह है कि यह लोग नियम और परंपराएं अधिकतर अपने सुविधा अनुसार बनाते हैं जो महिलाओं पर थोप दी जाती हैं यह वर्षों से चला आ रहा है। घरेलू हिंसा केवल लिंग के आधार पर हो ऐसा आवश्यक नहीं है। घरेलू हिंसा में अधिकतर अपराधी सदस्य समान लिंग के होते हैं या फिर महिला पर हो रहे अत्याचार, हिंसा, उत्पीड़न में कई बार उनके ही परिवार की महिला सदस्यों की मुख्य भूमिका होती है।[3] ऐसे समाज जहां लैंगिक असमानता और पितृसत्तात्मक मानक व्याप्त है वहाँ महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। लैंगिक असमानता रिश्तों के मध्य शक्ति का असंतुलन पैदा करती हैं क्योंकि पुरुषों को प्रभुत्वशाली और महिलाओं को विनम्र होने का वातावरण दिया जाता है। शक्ति असंतुलन की भावना शारीरिक हिंसा की संभावना को बढ़ाता है क्योंकि प्रभुत्व रखने वाला पक्ष अर्थात पुरुष नियंत्रण रखने या अधिकार बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं।[4] पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं पर प्रभुत्व रखने का अधिकारी है, वह महिलाओं की सोच और इच्छाओं का स्वामी है। महिलाओं द्वारा पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के विरोध करने पर उनके साथ आक्रामक व्यवहार भी किया जाता है। उनको नियंत्रित रखने के लिए उन पर अधिकार बनाए रखने के लिए उनके साथ शारीरिक हिंसा की जाती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2011 से लेकर 2021 के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में 87% की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा (31.8%) के मामले थे।[5]

2018 में एक सर्वेक्षण में भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बताया गया। वहीं वर्ल्ड इकोनामिक फॉरम की 2021 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में लैंगिक असमानता के मामले में भारत 156 देश में 140 वें स्थान पर है जो बहुत ही सोचनीय है।[6]

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

के.ई.एम. अस्पताल मुंबई की रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि लिंग आधारित हिंसा एक वैश्विक महामारी है जो हर तीन में से एक महिला को प्रभावित करती है फिर भी इन मामलों को प्रभावित करने वाले कई सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण इनको नजर अंदाज कर दिया जाता है। घरेलू हिंसा के कारण होने वाली मौतों को अप्राकृतिक मौत बात कर दबा दिया जाता है।[7]

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक तीन महिलाओं में से एक महिला अपने जीवन में शारीरिक हिंसा का शिकार होती है। घर से लेकर बाहर कार्यस्थलों तक लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा का कारण पितृसत्तात्मक सोच आधारित सामाजिक संरचना है जिसमें बाल यौन शोषण लैंगिक भेदभाव के आधार पर लड़कियों पर किए जाने वाले भावात्मक शोषण, दहेज प्रथा, पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ जबरन व्यवहार आदि शामिल है। कार्यस्थलों, संस्थानों में भी लैंगिक हिंसा की घटनाएं गति पकड़े हुए हैं। इसमें छेड़छाड़, यौन शोषण, अधिकारी पदों द्वारा काम के नाम पर नियंत्रित व्यवहार और शोषण की कोशिश करना आदि शामिल है। सार्वजनिक स्थलों पर रोजमर्रा की जिंदगी में यौन उत्पीड़न होता है। सार्वजनिक परिवहनों में धक्का–मुक्की के नाम पर शोषण जिससे महिलाएं मानसिक रूप से आघात होती हैं।

घर के भीतर हिंसा एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2022 में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा श्रेणी में 6900 से अधिक शिकायत दर्ज की हैं ,जबकि महिला हिंसा की सभी श्रेणियों में 30900 शिकायत दर्ज हुई है। कोविड–19 महामारी चरण में महिला हिंसा 2020 में लगभग 23700 से 30% बढ़कर 2021 में 30800 से अधिक हुआ है जो एक गंभीर समस्या दिखाई दे रही है। इसमें राज्य के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे 55% के आंकड़ों के साथ हैं।[8] यह मामले तो वह है जिनकी शिकायत दर्ज की गई परंतु न जाने कितने मामले हैं जो चार–दिवारी में ही सिमट कर रह जाते हैं। उनके आंकड़े इनसे भी कहीं ज्यादा है।

## भारत में लैंगिक शारीरिक घरेलू हिंसा के कारण

- परिवार में महिलाओं की बाधित भूमिका अक्सर महिलाओं को खतरे में डालती हैं और उनके निवारण के लिए मुकाबला करने वाले रास्तों के जोखिम को उजागर करती है।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने के लिए अक्सर लैंगिक सीमाएं, परंपराओं का इस्तेमाल होता है।
- सामाजिक मानदंड भी पुरुषों को प्रभुत्वसंपन्न, नियंत्रित करने के अधिकारी और महिलाओं को विनम्र झुककर रहने का सबक देते हैं।
- महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता शारीरिक घरेलू हिंसा का बड़ा कारण है।
- शिक्षा की कमी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी तथा मर्यादा की सीमाओं में बंधकर रहना भी घरेलू हिंसा का एक कारक है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

- भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड, रुढिवादी परंपराएं जो महिलाओं को हासिए पर रखती हैं और उनके अधिकारों को मान्यता प्राप्त करने में सफल नहीं होती हैं।

ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर 1979 कन्वेंशन और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर 1993 की घोषणा जैसी संधियों द्वारा लिंग आधारित हिंसा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई। संयुक्त राष्ट्र ने लिंग आधारित हिंसा को एक **'अदृश्य आपात स्थिति'** कहा और इस पर जल्द ही विराम लगाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है यह भी बताया।

यू एन मानवाधिकार कार्यकर्ता **रीम अलसालेम** का मानना है की लिंग आधारित हिंसा निजी और सार्वजनिक जीवन के हर आयाम को प्रभावित करती है।[9]

फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव (FPC) की स्थापना 2019 में की गई। यह महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए नीति और वित्त पोषण एजेंडे को बदलने का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य नीति निर्माण, उसके कार्यान्वयन और निगरानी की जानकारी देने जमीनी स्तर पर महिलाओं की आवाज को केंद्रित करने के लिए ज्ञान का सृजन करना है तथा महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के साथ प्रमुख नीतिगत सिफारिश को आगे बढ़ाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुहिम ''कोरोना को दबाए, अपनी आवाज को नहीं'' के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला द्वारा 112 पर कॉल करने पर दो महिला सिपाही घर जाकर पंजीकरण करेंगे तथा आरोपित को हिदायत देगीं व 6 महीने तक फॉलोअप होने के बाद दोबारा हिंसा होने पर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

**भारत में लैंगिक असमानता और शारीरिक घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जो निम्न है–**

- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005**– यह कानून शारीरिक ,मानसिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण तथा घरेलू हिंसा पीड़ितों को सुरक्षा व राहत सुनिश्चित करता है।
- **दहेज निषेध अधिनियम 1961**– यह कानून दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। दहेज की मांग से महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, दुर्व्यवहार व हिंसा होती है। यह कानून दहेज लेने व देने को अपराध घोषित करता है व अपराधियों को दंड का प्रावधान करता है।
- **महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) 2013**– यह कानून महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तथा यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अवांछनीय कृत्य जैसे शारीरिक संपर्क, अश्लील टिप्पणी आदि शामिल है। अपराधी को दंड रूप में जुर्माना या व्यवसाय लाइसेंस रद्द करना हो सकता है।

**eISSN 2581-8996**
ONLINE
**THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)**
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

**अनुसंधान क्रियाविधि–** प्रस्तुत बिषय में विश्लेषणात्मक शोध विधि का उपयोग किया गया है। तथ्यों को तार्किकता और वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए डाटा को विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, पत्रिकाओं, विभिन्न वेबसाइट, रिपोर्ट्स तथा अध्ययन से संबंधित प्रकाशित साहित्य से लिया गया है तथा संबंधित विषय में स्थित पहलुओं का अध्ययन करके शोध कार्य को सत्य के साथ करने का प्रयास किया गया है तथा निष्कर्ष को तथ्यपरक बनाने का भी प्रयास किया गया है।

**निष्कर्ष–** भारत में लैंगिक असमानता शारीरिक घरेलू हिंसा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंगिक असमानता शारीरिक घरेलू हिंसा में एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे आसमान शक्ति गतिशीलता और सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाओं को अंतरंग संबंधों में हिंसा का अनुभव होने का अधिक खतरा रहता है। विभिन्न आंदोलनों के बावजूद भारतीय समाज आज भी लैंगिक असमानताओं और पितृसत्तात्मक रूढ़ियों से जूझ रहा है। लैंगिक असमानता शक्ति असंतुलन पैदा करती है जो महिलाओं के लिए शारीरिक घरेलू हिंसा का कारण बनती है। लैंगिक भेदभाव के मूल कारणों की पहचान करके समानता के माहौल को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे शारीरिक घरेलू हिंसा की घटनाओं को कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रयासों की आवश्यकता है जैसे शिक्षा, जागरूकता अभियान, कानून में सुधार, महिलाओं को समान अवसर देना और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है जो हिंसा मुक्त हो तथा सभी के अधिकारों का, गरिमा का सम्मान हो।

**सुझाव–** लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कार्यवाही आवश्यक है। सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करना, जागरूकता पैदा करना, मीडिया की सकारात्मक भूमिका, कानून को मजबूत करना और सबसे अधिक आवश्यक कम से कम समय में अपराधियों को सजा मिलना। सभी लिंग के सभी लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए समाज और राज्य को भी जवाबदेही बनना होगा। एक नारीवादी दृष्टिकोण को अपनाये जाने की भी आवश्यकता है इससे समस्या के मूल कारण पर ध्यान दिया जा सकेगा। पीडित समूह को नीति निर्धारण में एक योगदानकर्ता की तरह शामिल करके सही समाधान करना। लैंगिक हिंसा के मामले में केवल महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी शामिल करना चाहिए ताकि लैंगिक समानता के आधार पर समाज की स्थापना की जा सके। लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा क्षेत्र निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षा प्रणाली लोगों के सशक्तिकरण और सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों को दूर करने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप चलाएं जाएं तथा शिक्षक छात्र सामानता को बढ़ावा दें। इसके अतिरिक्त बच्चों की परवरिश तथा उनके स्कूल को आदर्श संस्था बनाया जा सकता है जहां से रुढिवादी परंपराओं को चुनौती दी जा सकती है।

**eISSN 2581-8996**
ONLINE
**THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)**
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

## संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Aajtak.in/22 november 2022
2. Jagran.com/21 July 2023
3. पांडेय, डॉ0 जयशंकर प्रसाद. (06/2017). ''घरेलू हिंसा के नारीवादी सिद्धांत का भारतीय संदर्भ में अनुभवजन्य समलोचनात्मक विश्लेषण''. शोध मंथन, वॉल्यूम–8 पेज. 189–195
4- Kumar,Rajendra/legalservicesindia.com/article/1448/The role of education sector in removing gender inequality.html
5- Farhin, nahvi. (18/04/2023). Orfonline.org/research/feminist approach to gender based violence policy making in india
6- Mridula sharma (02/05/2023) feminisminindia.com/feminist approach to gender base violence policy making
7- Devbratidhar (24/03/2023) feminisminindia.com/gender based violence is a global pandemic kem report
8- Ambika pandit (09/01/2023) times of india.indiatimes.com/over 6900 domestic violence plaints filled womenin India in 2022.
9- News.un.org/16dec2021
10- iwwage.org/feminist policy in india
11- Amarujala.com/21march2020
12- Sharma,Indira.(04/2015). "Violence against woman:where are the solution?".Indian journal of psychiatry, 57(2), page.131-139
13- Kumari,Roshni and kushwah, Savita.(10/2020). "domestic violence against women".Journal of advance and scholarly researches in allied education, vol.17, issue.2, page. 861-866.
14- Renu Gupta (28/09/2022) feminisminindia.com/rural woman domestic violence experience.

**ritusengar380@gmail.com**